

# 2024/54/Gcms (D)

खारिज

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

9.4.2024

प्रायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

प्रियंका आदि

बनाम

कृष्णलाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 122 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
02.04.2024	<p>वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">02/04/24</p> <p>09.4.2024 वकील वकील ने प्रार्थना- पत्र मिश्राल पेथी पेश करने पर प्रजावकी के पेथी में लिखा गया वकील वकील ने मिडिल रिफ सि बाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहे है। मी नूदा रिफरि में खारिज आरजात चाहे है। इत कर-पत्र मी नूदा रिफरि में खारिज रिफ जाता है। प्रजावकी सखर से क्रम की जाकर आउतरागी लक्ष्मील जाप्ला का खिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">09/4/24</p> <p style="text-align: right;">म १</p> <p style="text-align: right;">रावतसर कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>Not PRESS KiyA A us 9/4/2024</p>

